भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1942

उत्तर देने की तारीख - 06/08/2025

देश के निजी स्कूल

1942 श्री संदोष कुमार पी:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार निजी स्कूलों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितने निजी स्कूल खोले गए हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने निजी स्कूल बंद किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास निजी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को विनियमित करने के लिए कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): 2019-20 और 2023-24 की अवधि में देश में निजी स्कूलों की संख्या क्रमशः 337499 और 331108 थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में निजी स्कूलों की राज्यवार संख्या अनुलग्नक में उल्लिखित है।

(घ) एवं (च): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार के स्वामित्व/वित्तपोषित स्कूलों के अलावा, अन्य स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यद्यपि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुच्छेद 8.5(ग) के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) नामक एक स्वतंत्र, राज्यव्यापी निकाय की स्थापना करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अधिकार क्षेत्र के सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्ता मानकों का पालन करना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का पैराग्राफ 8.5(डी) स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन ढाँचे (एसक्यूएएएफ) के विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस प्रावधान के अंतर्गत, राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्थानीय शासन ढांचे के आधार पर, अपने संबंधित स्कूल बोर्डों या शिक्षा विभागों के माध्यम से इस ढांचे का विन्यास और कार्यान्वयन करें।

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री संदोश कुमार पी द्वारा "देश में निजी स्कूल" के संबंध में दिनांक 06.08.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1943 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निजी स्कूलों की कुल संख्या				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73	73	72	70	70
आंध्र प्रदेश	16173	15792	15058	15127	15232
अरुणाचल प्रदेश	493	496	503	503	529
असम	6074	6045	5852	5677	5725
बिहार	7630	7923	8097	8053	9167
चंडीगढ़	74	75	76	77	77
छत्तीसगढ़	7008	7131	7063	6931	7153
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	42	63	63	63	63
दमन और दीव*	23				
दिल्ली	2652	2641	2610	2570	2565
गोवा	138	138	139	140	141
गुजरात	13898	13834	13559	13387	13490
हरियाणा	8195	8235	8261	8315	8415
हिमाचल प्रदेश	2786	2753	2646	2613	2607
जम्मू और कश्मीर	5585	5649	5526	5407	5452
झारखंड	1522	1542	1559	1583	1634
कर्नाटक	20069	19915	19650	19531	19542
केरल	3282	3241	3164	3095	3082
लद्दाख	112	112	112	111	114
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	31201	31512	30345	28047	28910
महाराष्ट्र	19654	19632	19268	18723	18642
मणिपुर	1015	1027	1010	996	1010
मेघालय	2198	2179	2120	2121	2152
मिजोरम	1046	1050	1034	1023	1064
नागालैंड	746	743	757	762	772
ओडिशा	6375	6393	6104	6062	6042
पुडुचेरी	286	286	281	274	282
पंजाब	8623	8893	7978	7886	7704
राजस्थान	36056	36023	34826	34497	34729
सिक्किम	407	393	376	368	374
तमिलनाडु	12382	12402	12396	11969	12481
तेलंगाना	11688	12023	12193	11707	12126
त्रिपुरा	352	360	363	367	395
उत्तर प्रदेश	93750	96741	97808	92348	96635
उत्तराखंड	5467	5396	5225	5140	5252
पश्चिम बंगाल	10424	10042	9750	7887	7480
भारत	**337499**	**340753**	**335844**	**323430**	**331108**

स्रोत: यूडाइज़+ (*2019-20 के बाद दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का एक संघ राज्य क्षेत्र में विलय किया गया है)